

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा, (बोकारो)

आदेश पत्रक

आवेदिका- स्नेहलता देवी,

ग्राम- तेलो (नूरागडीया), चन्द्रपुरा।

जन आवेदन संख्या- 369, दिनांक- 12.06.2023

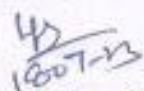
तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18.07.2023	प्रतिवादी अनुपस्थित, आवेदिका स्नेहलता देवी, मौजा तेलो, खाता नं० 01, प्लॉट सं० 7059, रकवा 1.98 ए० भूमि पर बाधा उत्पन्न करने के संबंध में आवेदन दिया गया था। उक्त वर्णित भूमि कि जाँच राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि मौजा तेलो के खाता सं० 01 प्लॉट सं० 7059, रकवा 1.98 ए० पर प्रेमचन्द महतो, मोहन महतो एवं महेश महतो पिता स्व० भागीरथ महतो सा० नूरागडीया, थाना-चन्द्रपुरा, जिला बोकारो के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। प्रतिवादी को नोटिस निर्गत कर हकियत संबंधित कागजात की मांग की गई, परन्तु प्रतिवादी को तीन बार नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी हकियत संबंधित कागजात के साथ उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा दिनांक 21.07.2023 को निबंधित डाक के द्वारा आवेदन दिया गया कि मेरे द्वारा खाता सं० 01 के प्लॉट सं० 7059, रकवा 1.98 ए० भूमि पर स्नेहलता देवी को बाधा उत्पन्न किया जा रहा है जो कि पूर्णतः असत्य है, एवं वास्तविकता यह है कि प्लॉट सं० 7059 रकवा 1.98 ए० कि भूमि खाता सं० 01 का नहीं बल्कि खाता सं० 291 का है जो रजिस्टर 2 में मेरे परदादा श्याम लाल महतो के नाम से दर्ज है। मेरे पूर्वजों एवं हमारे द्वारा इस भूमि पर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से खेती किया जा रहा है। एवं समय-समय पर सरकार को लगान भी दिया जाता रहा है। मेरी इस भूमि पर भू-माफियाओं का नजर है। मेरे गाँव के ही सदानन्द महतो द्वारा उक्त भूमि के फर्जी दस्तावेज बना कर अदालत में हमारे विरुद्ध वर्ष 2015 में केश दर्ज कराया था जिसकी सं० 81/2015 है। परन्तु बाद में सदानन्द महतो अपने सभी दस्तावेज अदालत से यह कहते हुए वापस लिया है कि उक्त जमीन के दुसरे कागजात बाद में पेश करूँगा। अभी यह मामला अदालत में प्रक्रियाधिन है। वर्तमान में सदानन्द महतो एवं अन्य स्नेहलता देवी के साथ मिलकर उक्त जमीन के पुनः फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरे भूमि पर दावा किया जा रहा है।	

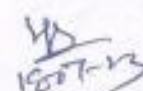
उक्त के संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से पुनः जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका स्नेहलता देवी के द्वारा खाता सं० ०१ का खतियान जिसमें प्लॉट सं० ७०५९ रकबा १.८९ ए० भूमि दर्ज है, जो जिरात खाते कि भूमि है। आवेदिका ने केवाला सं० ९१०९/२९.१०.१९४६ कि सत्यापित प्रति जिसमें केवाला दाता का नाम राजा शिव प्रसाद सिंह एवं केवाला ग्रहिता का नाम श्रीमति उषा देवी के नाम दर्ज है। इस केवाला में प्लॉट सं० ७०५९ सहित अन्य प्लॉट दर्ज है। लगान रसीद जमाबंदी सं० ४२/४ से निर्गत होती है। लगान वर्ष २०२१-२२ तक देय है। इस भूमि पर प्रेमचन्द महतो एवं अन्य के द्वारा बाधा उत्पन्न करने कि बात बताई गई है।

कार्यालय से नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त प्रेमचन्द महतो ने मौजा तेलो के प्लॉट सं० ७०५९ को खाता नं० २९१ के अन्तर्गत बतलाया है जो गलत है। यह भूमि खाता नं० ०१ के अंतर्गत है। प्रेमचन्द महतो ने यह केवाला जो वर्ष १९७० को रजिस्टर्ड है कि छाया प्रति उपलब्ध कराई है जिसमें विक्रेता का नाम लछु महतो बल्द शामलाल महतो एवं भगन महतो बल्द प्रीतलाल महतो एवं क्रेता का नाम (१)शिवनारायण महतो बल्द जहलु महतो, (२) दारु महतो बल्द पल्लु महतो का नाम दर्ज है। केवाला में खाता नं० २९१ प्लॉट नं० ७०५९ रकबा ६० डी० भूमि दर्ज है। विक्रेता लछु महतो को यह भूमि जो जिरात खाते कि है जिसका मालिक राजा/जमींदार थे, किस प्रकार प्राप्त हुआ उससे संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष (स्नेहलता देवी) का कागजात सही प्रतीत होता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित/संशोधित।


अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।


अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।